तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	शेराराम बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी औसियां) सू.अ.अ. अपील संख्या 126 / 2020	
21.09.20	अपीलार्थी शेराराम पुत्र बीजाराम मेघवाल निवासी उगुणाबास मथानियां, तिंवरी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.06..20 में उसके द्वारा (1) गांव मथानिया के राशन डिलर नरपतराम मेघवाल दुकान (10510) के अधीन कितने राशन धारकों को खाद्य सामग्री वितरण की जनवरी 2019 व अक्टुबर 2019 माह की वितरण ब्यौरा रजिस्टर की प्रतिलिपि बिलों, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी औसियां) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी औसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..(उपखण्ड अधिकारी औसियां) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी औसियां) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना [illegible] प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सू[illegible] कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश [illegible] सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh Ind
Date: 2020.10.13 18:02:05 IST
Reason: SelfAttested